



## आगराविकासप्राधिकरण, आगरा।

जयपुरहाउस, आगरा।

### ई-निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण के विज्ञापन सम्बन्धी कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	कार्य का नाम	अग्रिम धन (रु० लाख में )	कार्य पूर्ण करने की अविधि	निविदा खोलने का दिनांक
1.	प्राधिकरण के विज्ञापन हेतु विभिन्न एजेन्सियों से ऑफर मांगे जाने हेतु	2,00,000	12 माह	09.01.2018

- उक्त कार्य हेतु ऑफर दिनांक 09.01.2018 तक आमंत्रित किये जाते हैं। दि०-01.01.18 से 08.01.18 तक के अपरान्ह 03:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- ऑफर से सम्बन्धित समस्त शर्तें व नियम प्राधिकरण की वेबसाइट [www.adaagra.in](http://www.adaagra.in) पर देखी जा सकती हैं।

  
सचिव

आगरा विकास प्राधिकरण,  
आगरा।



## आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

### एक वर्ष (12 महीने) विज्ञापन एजेन्सी के सम्बन्ध में सामान्य शर्तें :-

1. ऑफर के साथ अर्नेस्ट मनी रू0 2.00 लाख की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो वित्त नियंत्रक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के नाम हो, जमा कराना अनिवार्य है बिना अर्नेस्ट मनी के ऑफर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. विज्ञापन एजेन्सी को इण्डियन न्यूज पेपर सोसाइटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
3. विज्ञापन को कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, रू0 5.00 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर होना चाहिए, जी.एस. टिन नम्बर, पैन नम्बर तथा जी.एस. टैक्स का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
4. वार्षिक टर्न ओवर से सम्बन्धित सी0ए0 से ऑडिट बैलेन्स शीट, सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों में विज्ञापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है।
5. ऑफर समाप्त होने की दशा में अर्नेस्ट मनी (जमानत स्वरूप) स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष के लिये प्राधिकरण कोष में जमा रहेगी जिसका किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
6. समस्त ऑफर या किसी ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को होगा। स्वीकृत होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि मान्य रहेगी।
7. डिजाईन चार्ज, सर्विस चार्ज व अन्य किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा तथा सर्विस टैक्स सभी प्रकार के टैक्स के भुगतान की जिम्मेदारी विज्ञापन एजेन्सी की होगी।
8. ऑफर में स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि एजेन्सी द्वारा प्राधिकरण को कितना डिस्काउण्ट देना है। बिलों का भुगतान डिस्काउण्ट एवं शासकीय टैक्स काटकर ही प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
9. समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन बिलों का भुगतान प्राधिकरण अपनी स्वीकृत नीति के अनुसार ही करेगा।
10. विज्ञापन मैटर/समाचार विज्ञापित एवं अन्य सेवा हेतु स्टॉफ त्वरित उपलब्ध होना चाहिये तथा प्रतिदिन कार्यालय में आना भी अनिवार्य है।
11. नीलामी पंजीकरण, विज्ञापन के डिजायन स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित स्पेस समाचार-पत्र में प्रकाशित करने होंगे।
12. विज्ञापन एजेन्सी का आगरा शहर में व्यवसायिक क्षेत्र में गत पांच वर्षों से स्थापित ऑफिस मय कम्प्यूटर डिजाइनिंग, सर्विसिंग एवं एकाउण्ट विभाग सहित होने के प्रमाणक संलग्न करने होंगे।
13. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

T. Kumar  
30/12/17

प्रभारी जन-संपर्क अधिकारी